न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 36 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. दलाराम पुत्र खरथाराम
2. बाबूराम पुत्र धन्नाराम
3. लालाराम पुत्र धन्नाराम
4. श्रीमती जीयोदेवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी मानाणियों की बस्ती, गंगाला तहसील रामसर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.वीरमाराम पुत्र पुरखाराम
2.रामाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी निहालाणियों का टोवा गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर
3.श्रीमान तहसीलदार रामसर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 06 / 2018 बअनवान वीरमाराम वगै. बनाम दलाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मेघाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 05.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 361 / 287 मौजा मानाणियों की बस्ती तहसील रामसर में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्ब 361 / 287 प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को अपने खेत से सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसता के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है. जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन को इकलोता विकल्प है। रास्ता घोषित करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 25.07.2018 को विप्रार्थीगण के जबाव हेतु नियत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित पेशी तारीख 25.07.2018 में कांट—छांट कर पेशी तारीख 20. 07.2018 को नियत कर दी गई जिस संबंध में अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता को जानकारी नहीं दी गई तथा दिनांक 20.07.2018 को अपीलांटगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07. 2018 के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई जो श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निगरानी पेश की गई जिस निगरानी संख्या 281/2019 को दिनांक 13.09.2019 को स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये गये तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं अथवा तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करावे। तत्पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों पर विचारण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने पुनःप्रकरण को उसी नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा तहसीलदार रामसर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार रामसर द्वारा पुनः उतरदाता के दबाव में रहते हुए पूर्व की मौका रिपोर्ट के विपरित अपीलांट के खेत के दूसरे सेढे पर रास्ता दर्शाते हुए मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिस पर अपीलांटगण से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की घोर अवहेलना करते हुए अपीलांटगण की अनुपस्थिति में दिनांक 09.04.2021 को अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई निगरानी के साथ पेश परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये बरंग नीला रास्ता उतरदाता की जमीन से सर्वाधिक रास्ते के विकल्प के रूप में मौजूद था तथा बरंग नीला के रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 358/284 भी अपीलांट के खातेदारी का है जिससे अपीलांटगण रास्ता देने हेतु तत्पर है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.11.2019 में तहसीलदार रामसर को स्पष्ट आदेशि दिये गये कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विप्रार्थी द्वारा दिये गये विकल्प परिशिष्ट 'ब' के मार्क सी टू डी तथा ई टू एफ से कम दूरी का सुविधाजनक मार्ग प्रार्थीगण को उपलब्ध होने की मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करे। परन्तु तहसीलदार रामसर ने उक्त विकल्प को अनदेखा करते हुए उससे अधिक दूरी का रास्ता अपनी मौका रिपोर्ट के साथ नक्शे में दर्शाये मार्क ए टू बी से निकाले जाने बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश के जरिये अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 361/287 की भूमि में से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को पालन किये बिना रास्ता प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटगण से माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां नहीं ली गई तथा अपीलाधीन आलोच्य आदेश उक्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेसपोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के वावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण येन केन प्रकरेण रेस्पोडेंट को मिले रास्ते से वंचित करना चाहते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 03.03.2020 में स्पष्ट किया गया है कि विकल्प संख्या प्रस्तावित रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 06/2018 बअनवान वीरमाराम वगै. बनाम दलाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर